(b) to (d) The cumulative outstandings of the oil companies from the oil pool account are estimated to rise to Rs. 15,500 crores by 31.3.97. Deficits have arisen in the pool account because the sales realisation from the products did not fully cover the costs incurred. The position of the oil pool account is monitered on a continuous basis and remedial measures taken to contain the deficit.

स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत लघु उद्योग

1476. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार कितने लघु उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को प्रदान की गई राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) उद्योग मंत्रालय स्व-रोजगार योजना जैसे 2 अक्तूबर, 1993 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना को क्रियान्वित कर रहा है। उनसे प्राप्त सामग्री के अनुसार 1993-94 के दौरान योजना केवल शहरी क्षेत्रों में तथा 1994-95 से अब तक समस्त देश में संचलित है। योजना के तहत उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में लघु उद्यम स्थापित किए जाते हैं। इसके कार्यान्वयन में ग्रामीण व शहरी आधार पर विभिन्नता नहीं रखी गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित उद्यमों में विभिन्नता को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है। सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ग्रामीण/शहरी आधार पर आंकड़ों को नहीं बना और नहीं रख रहे हैं। अतः ग्रामीण/शहरी आधार पर अखिल भारतीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, गत 3 वर्षों के दौरान संस्वीकृत लोगों की संख्या वितरित ऋणों के ब्यौरे निम्नानुसार है:—

क्र सं॰	वर्ष	संस्वीकृत लोग (संख्या)	लोग (वितरित ऋण) (संख्या)
1.	1993-94	32,116	22,734
2.	1994-95	1,98,224	1,41,521
3.	1995-96	2,99,118	1,78,260

(ख) भारत सरकार परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से पूंजी सब्सिडी देती है बशर्ते कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत उद्यमों को स्थापित करने हेतु प्रति उद्यम की अधिकतम राशि 7,500 रुपए हो। योजना के तहत पूंजी सब्सिडी भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक लाभार्थियों को दिए गए ऋणों को समायोजित करने के लिए कार्यान्वित बैंकों को सब्सिडी सौंपती है। 1995-96 के दौरान पूंजी सब्सिडी के रूप में 120 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई थी जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सम्मिलित है, के लिए स्व-रोजगार योजना के तहत 1.80 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, शामिल हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रेषित सब्सिडी को लाभार्थियों को दिए गए ऋणों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक-वार बनाया गया है। सब्सिडी आबंटन राज्यवार नहीं बनाए गए हैं।

(ग) और (घ) 1996-97 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रों को कवर करने के लिए 2.20 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। योजना चालू वर्ष के दौरान चल रही है।

Construction of Bridges over west Yamuna Canal

1477. SHRI K.M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether foundation stones for construction of new bridges over West Yamuna Canal connecting Pocket-U & V Shalimar Bagh and Pocket-KU, Pitampura, were laid in December, 1994 and about one lakh rupees were spent on stone laying ceremony;

(b) whether the above work was to be completed within 12 months from the date of stone laying, but the same could not be completed even after lapse of nearly two years; and

(c) if so, what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) The foundation stones for the constructioin of new bridges were laid in November, 1994. An expenditure of Rs. 22,762/- was incurred on the stone laying ceremony.

(b) and (c) No, Sir. The contract was awarded on 15.3.96 with a stipulation that the work would be completed within 12 months from the date of award of the contract i.e. before 14.3.1997.

Lack of promotional avenues for All India Service Officers

1478. SHRI YERRA NARAYANA SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the number of All India Service Officers who would be promoted to Additional Secretary level;

(b) whether it is a fact that lack of promotional avenues is causing a loss of morale amongst them; and

(c) the steps proposed to be taken to increase their promotional avenues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVENCES AND PENSIONS (SHRI S. R. BALASUBRAMONIYAN): (a) For promotion of All India Services Officer to the rank of Additional Secretary a panel of suitable officers is drawn up on an annual basis, considering all officers of a particular year of allotment together as a group. Inclusion in the panel is entirely based on suitability and no fixed number of officers to be empanelled has been prescribed. The actual promotion from among the panel depends on the number of vacancies. The question of increasing the number, therefore, does not arise.

(b) The Government is not aware of any loss of morale among the All India Services Officers due to the reason cited in (a) above of the question.

(c) Does not arise due to (b) above.

Thrust area of the 9th Five Year Plan

1479. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Ninth Five Year Plan has been finalised; and

(b) if so, the details of areas in which emphasis is given or is proposed to be given during the Plan?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) No Sir.

(b) The Approach Paper to the Ninth Plan, preparation of which is underway in Planning Commission, would *inter alia* include the emphasis of the 9th Plan.

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमें निपटाने में विलंब करना

1480. श्री जनार्दन यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार सेवा संबंधी मुकदमेबाजी में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बार-बार और लंबी अवधि के स्थगन के कारण मुकदमें निपटाने में अधिक समय लेता है;

(ग) यदि हां, तो निर्णयाधीन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए ऐसे तरीके विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी मामले को निपटाने में छः माह से अधिक का समय न लिया जाए;

(घ) क्या यह सच है कि न्यायाधिकरणों में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासनिक सेवा के सदस्य अल्प अवधि में ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं जिसके कारण दो सदस्यीय पीठ कई दिनों तक नहीं बैठ पाती है; और

(ङ) क्या सरकार का उनमें विधिवेताओं या न्यायिक